

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०.157/2026



UPRN010016542026

शारदा देवी.....बनाम.....दीपू आदि

धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना -सिकन्दरा, कानपुर देहात।

दिनांक-14.07.2026

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का उल्लेख किया गया।

प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।